राजस्थान–सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भुविज्ञान विभाग राजसमन्द खण्ड द्वितीय।

क्रमांकः–ख.अ. / राज–II / अवैध खनन / नीलामी / 2024–25 / 279-8 दिनांक 10-06-2024

–:नीलामी विज्ञप्तिः–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजसमन्द जिले में अवैध खनन/निर्गमन चैकिगं के दौरान जब्तशुदा खनिज बजरी की खुली नीलामी दिनांक 18.06.2024 को प्रातः11 बजे कार्यालय खनि अभियन्ता राजसमन्द (खनिज भवन भीलवाडा बाईपास रोड आर.के. होस्पीटल के सामने राजसमन्द खण्ड द्वितीय) में रखी जाएगी। इच्छुक बोलीदाता उक्त नीलामी में प्रतिभाग कर सकते है।

क्र. सं.	नीलामी सूचना संख्या	जब्तशुदा खनिज के स्थान का विवरण			जब्तशुदा खनिज की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना /अमानत राशि (रु0 में)	न्यूनतम निविदा राशि (रु0 में)	खनिज
		निकट ग्राम	तहसील	जिला				
1	206 / 02.01.2024	कार्यालय परिसर	राजसमन्द	राजसमन्द	20	500	12500	बजरी
2	218 / 15.01.2024	जगपुरा	रेलमगरा	राजसमन्द	30	500	18750	बजरी

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्ते निम्नानुसार रहेंगीः–

1 प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी शुरू होने से पहले उक्त बयाना राशि डीडी के जरिये जमा कराना होगा। इसके पश्चात् ही बोलीदाता नीलामी में प्रतिभाग कर सकेगा।

2 बोलीदाता को इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि बोलीदाता या बोलीदाताफर्म, फर्म के भागीदारों /कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध विमाग की कोई राशि बकाया नही है।

3 जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण नीलामी तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल पर की जा सकती है।

4 जब्तशुदा बजरी संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल में जैसी भी, जितनी भी, जहाँ भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।

5 उच्चतम बोलीदाता को आदेश प्राप्ति के तीन कार्य दिवस में सम्पूर्ण नीलामी राशि ऑनलाईन विभागीय मद में जमा करायेगें। राशि जमा होने की तिथि से 15 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी, अन्यथा जमा बयाना / अमानत राशि जब्त करते हए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी।

6 बोलीदाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्च) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा।

7 बोलीदाता को पहचान पत्र/फोटो आई. डी. इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा, एवं मुख्तयारनामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ में लानी होगी।

8 बोलीदाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।

9 सफल बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण नीलामी राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमन्द खण्ड द्वितीय द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार रवन्ना जारी किये जायेगें तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।

10 12.500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।

11 तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जावेगा। स्टॉक के बेलेन्स की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण अनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को वाट्सएप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।

12 नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण/ परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगी स्थान पर परिवहन करेगा।

13 प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

14 शेष सभी शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।

10/6/2024

(ललित बाछरा)
खनि अभियन्ता
राजसमन्द खण्ड द्वितीय

क्रमांकः–ख.अ./राज–II/अवैध खनन/नीलामी/2024–25/280-87 दिनांक 10.06.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक महोदय, निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
2 जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द।
3 पुलिस अधीक्षक महोदय, शहर/ग्रामीण राजसमन्द।
4 नोडल अधिकारी डी.एम.जी.ओ.एम.एस. महोदय, निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5 अतिरिक्त निदेशक महोदय, (खान),उदयपुर –जोन,उदयपुर।
6 अधीक्षण खनि अभियन्ता महोदय, राजसमन्द वृत राजसमन्द/(सतर्कता), उदयपुर।
7 खनि अभियन्ता महोदय, राजसमन्द खण्ड प्रथम/आमेट।
8 कोषाधिकारी महोदय, कोष कार्यालय राजसमन्द को भेजकर निवेदन है कि इस कार्यालय में लेखाकार का पद रिक्त होने से उक्त दिनांक को आपके कार्यालय में कार्यरत लेखाकार /कनिष्ट लेखाकर को भिजवाने का श्रम करावे।
9 तकनीकी स्टाफ कार्यालय हाजा. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10/6/2024

खनि अभियन्ता
राजसमन्द खण्ड द्वितीय